(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

[विक्रम] सिंह पुत्र श्री केशर सिंह जाति राजपूत निवासी भैरू बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।		कुलदीप सिंह पुत्र केशर सिंह जाति राजपूत निवासी भैरू बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी।		मु.नं. 109/2024 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना क्रमांक दिनांक
21.06.24	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदक की ओर से वकील **श्री दीपेन्द्र जाखड** द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावे में **प्रतिवादी नम्बर 11** को भी पक्षकार बनाया गया है जो राज्य सरकार का लोक सेवक है। लोक सेवक के विरूद्ध न्यायालय में दावा करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस देना कानूनी आवश्यक है। लेकिन मामला अति आवश्यक प्रकृति का है अगर वादी **प्रतिवादी नम्बर 11** को दो माह का विधिक नोटिस देकर दावा पेश करता है तो वादी का दावा पेश करने का उदेश्य ही असफल हो जायेगा इसलिए वादीगण को **प्रतिवादी नम्बर 11** के विरूद्ध दावा दायरी की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को **प्रतिवादी नम्बर 11** के खिलाफ बिना विधिक नोटिस के दावा पेश किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादी अधीवक्ता की कथनो का मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं वाद की प्रवृति एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। **प्रतिवादी नम्बर 11** राजकीय कर्मचारी है। एवं दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उक्त धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस **प्रतिवादी नम्बर 11** को नही दिया गया है नोटिस बिना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। फलस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र **प्रतिवादी नम्बर 11** आपतियों को सुरक्षित रखते हुये प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय आज **दिनांक 21.06.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21/6/24 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	